न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु0 नं0:– 115/2025

तारीख रजू :– 14.08.2025

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

1.राधामोहन पुत्र श्यामफूल आयु 69 साल
2.रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्यामफूल आयु 60 साल
समस्त जाति मीना निवासी नंगला मीना तहसील महावीरजी जिला करौली (राज०)

वादी

बनाम

1.तहसीलदार बालघाट, तहसील बालघाट, जिला करौली (राज०)
2.कपूरचन्द पुत्र श्रीफल
3.रामनिवास पुत्र श्रीफल
4.विशनस्वरूप पुत्र सोमराज

समस्त जाति मीना निवासी नंगला मीना तहसील महावीरजी जिला करौली (राज०)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणात्मक राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित :– 1. श्री सुनील कुमार एडवोकेट वादी
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार प्रतिवादी

निर्णय दिनांक– 27.03.3036

वाद पत्र संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम निसूरा तहसील बालघाट जिला करौली के नवीन खाता संख्या नया 23 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 3237 रकवा 31 ऐयर, 3269 रकवा 31 ऐयर, 3271 रकवा 7 ऐयर, 3272 रकवा 7 ऐयर, 3273 रकवा 27 ऐयर, 3274 रकवा 16 ऐयर, 3275 रकवा 13 ऐयर, 3286 रकवा 22 ऐयर, 3287 रकवा 14 ऐयर, 3288 रकवा 12 ऐयर, 3289 रकवा 9 ऐयर, 3290 रकवा 11 ऐयर, 3291 रकवा 11 ऐयर, 3297 रकवा 2 ऐयर, 3298 रकवा 13 ऐयर, 3299 रकवा 23 ऐयर कुल किता 16 कुल रकवा 2.49 है० जिसमें वादीगण प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। तथा शेष हिस्से के प्रतिवादी नम्बर 2 ता 4 खातेदार है। **खाता संख्या नया 377** में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 3919 रकवा 22 ऐयर, 3920 रकवा 10 ऐयर, 3921 रकवा 11

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

ऐयर, 3922 रकवा 21 ऐयर, 3923 रकवा 26 ऐयर, 3924 रकवा 35 ऐयर, 3925 रकवा 28 ऐयर, 3925/4120 रकवा 30 ऐयर कुल किता 8 कुल रकवा 1.83 है० जिसमें वादीगण प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं।

दौराने सेटिलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 1 वाद पत्र में वर्णित हाल जमाबंदी में वादीगण के पिता का नाम रामफूल दर्ज कर दिया है, जबकि वादीगण के पिता का सही नाम श्यामफूल है क्योंकि वादीगण के समस्त सरकारी व राजस्व रिकॉर्ड जैसे राशन कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक की पासबुक एवं मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वाद पत्र में दर्ज भूमि खाता संख्या 377 में वादीगण के नाम की हाल जमाबंदी में वादीगण के पिता का नाम श्यामफूल दर्ज है इसलिए मुतजिक्रा मद नम्बर 1 वाद पत्र में दर्ज जमाबंदी खाता संख्या 23 में वादीगण के पिता का नाम रामफूल के स्थान पर श्यामफूल दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

वादीगण ने दिनांक 07.08.2025 को अपनी भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 1 व वाद पत्र पर ऋण हेतु हाल जमावंदी निकलवाई तो वादीगण को पता चला कि मुतजिक्रा मद नम्बर 1 वाद पत्र की हाल जमाबंदी में वादीगण के पिता का नाम श्यामफूल के स्थान पर रामफूल दर्ज कर रखा है, जो गलत दर्ज है, जबकि मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वाद पत्र की हाल जमाबंदी में वादीगण के पिता का नाम श्यामफूल दर्ज है जो पूरी तरह से सही दर्ज है जिस पर वादीगण उसी दिन तहसीलदार जी बालघाट से नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने वादीगण को सक्षम न्यायालय में दावा दायर करने की सलाह दी जिस पर वादीगण द्वारा यह दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

विनाय दावा बहक वादीगण वखिलाफ प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा दिनांक 07.08.2025 को हाल जमावंदी निकलवाने पर मुतजिक्रा मद नम्बर 1 वाद पत्र हाल जमाबंदी में वादीगण के पिता का नाम **श्यामफूल के स्थान पर रामफूल** दर्ज कर देने से व उसी दिन प्रतिवादी नम्बर 1 तहसीलदार जी से नाम दुरूस्ती करने व प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा सक्षम न्यायालय में दुरूस्ती का दावा पेश करने की सलाह देने के कारण वादीगण वखिलाफ प्रतिवादीगण विनाय दावा उत्पन्न हुआ और दावा हाजा अन्दर म्याद पेश है।

दावा वादीगण वखिलाफ प्रतिवादी नम्बर 01 बाबत इन्द्राज दुरूस्ती नाम हाल जमावंदी व घोषणात्मक इस आशय से डिक्री किया जावे कि ग्राम निसूरा तहसील बालघाट में स्थित नवीन खाता संख्या 23 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 3237 रकवा 31 ऐयर, 3269 रकवा 31 ऐयर, 3271 रकवा 7 ऐयर, 3272 रकवा 7 ऐयर, 3273 रकवा 27 ऐयर, 3274 रकवा 16 ऐयर, 3275 रकवा 13 ऐयर, 3286 रकवा 22 ऐयर, 3287 रकवा 14 ऐयर, 3288 रकवा 12 ऐयर, 3289 रकवा 9 ऐयर, 3290 रकवा 11 ऐयर, 3291 रकवा 11 ऐयर, 3297 रकवा 2 ऐयर, 3298 रकवा 13 ऐयर, 3299 रकवा 23 ऐयर कुल किता 16 कुल रकवा 2.49 है० स्थित ग्राम निसूरा तहसील बालघाट तथा नवीन खाता संख्या 377 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 3919 रकवा 22 ऐयर, 3920 रकवा 10 ऐयर, 3921 रकवा 11 ऐयर, 3922 रकवा 21 ऐयर, 3923 रकवा 26 ऐयर, 3924 रकवा 35 ऐयर, 3925 रकवा 28 ऐयर, 3925/4120 रकवा 30 ऐयर कुल किता 8 कुल रकवा 1.83 है० स्थित ग्राम निसूरा तहसील बालघाट जिला करौली की हाल जमाबंदी में दर्ज नाम राधामोहन पुत्र रामफूल व रामेश्वर प्रसाद पुत्र **रामफूल के स्थान पर राधामोहन पुत्र श्यामफूल व रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्यामफूल** दर्ज करने की घोषणा की जावे और इस आशय का अमल दरामद समस्त राजस्व रिकॉर्ड में है।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार (तहसीलदार बालघाट) ने

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

रिपोर्ट के द्वारा अवगत कराया है ग्राम निसुरा के हाल खाता संख्या 23 खसरा नंबर 3237, 3269, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3297, 3298, 3299 कुल किता 16 कुल रकवा 2.49 है की खातेदारी कपूचंद पुत्र श्रीफल हि. 1/6 राधामोहन पुत्र रामफूल हि. 1/4 रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामफूल हि. 1/4, विशनस्वरूप पुत्र सोमराज हि. 1/6, रामनिवास पुत्र श्रीफल हि. 1/6, जाति मीना निवासी नंगल के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। ग्राम निसुरा के हाल खाता संख्या 377 ख0 न0 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3925/4120 कुल किता 8 कुल रकवा 1.83 है० की खातेदारी कपूरचंद पुत्र श्रीफल हि. 1/9, रामनिवासी पुत्र श्रीफल हि. 1/9, राधामोहन पुत्र श्यामलाल हि. 1/6, रामेश्वार प्रसाद पुत्र श्यामलाल हि. 1/6, गजराज पुत्र 1/15, राजन्ती पत्नि श्रीभान हि. 1/15, विशनस्वरूप पुत्र सोमराज हि. 1/9, जाति मीना निवासी नगला मीना के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल ख0न0 3297, 3298,3299, साविक ख0न0 2109/9 मि0 हाल 3237 साविक ख0न0 3289,3290, साविक ख0न0 22258 मि0 हाल ख0.न0 3291 साविक ख0न0 22257 मि0 हाल ख0न0 3237 साविक ख0न0 22284 हाल0 ख0न0 3269, 3271,3273,3274,3275 साविक ख0न0 2306 मि0 हाल0 ख0न0 3287, 3288, साविक ख0न0 2321 मि0 से बने है।

मुताबिक साविक जमाबंदी संवत 2013–16 में वादीगण राधामोहन, रामेश्वर प्रसाद के पिता का नाम श्यामफूल पुत्र कानजी दर्ज रिकार्ड है। वाद साविक जमाबदी संवत् 2017–20 व जमाबंदी संवत 2021–24 में वादी के पिता का नाम श्री रामफूल पुत्र कानजी दर्ज हो गया है। इसके बाद साविक जमाबंदी संवत 2037–40 में वादीगण के पिता का नाम रामफूल दर्ज हो गया, जो कि आदिनांक तक चला आ रहा है। जो कि मुताबिक राजस्व किरार्ड दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड व पेन कार्ड आदि में वादीगण राधामोहन व रामेश्वार प्रसाद के पिता का नाम श्यामफूल दर्ज है। मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेज के आधार पर वादीगण के पिता का नाम रामफूल की जगह श्यामफूल किया जाना उचित है।

वादी वकील व पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम निसुरा के हाल खाता संख्या 23 खसरा नंबर 3237, 3269, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291 , 3297, 3298, 3299 कुल किता 16 कुल रकवा 2.49 है व हाल खाता संख्या 377 ख0 न0 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3925/4120 कुल किता 8 कुल रकवा 1.83 है० में वादी नाम **राधामोहन पुत्र रामफूल व रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामफूल** है। तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट अनुसार **राधामोहन पुत्र रामफुल उर्फ श्यामफूल रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामफूल उर्फ श्यामफूल** किया जना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम निुसरा तहसील बालघाट जिला करौली के नवीन खाता संख्या नया 23 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 3237 रकवा 31 ऐयर, 3269 रकवा 31 ऐयर, 3271 रकवा 7 ऐयर, 3272 रकवा 7 ऐयर, 3273 रकवा 27 ऐयर, 3274 रकवा 16 ऐयर, 3275 रकवा 13 ऐयर, 3286 रकवा 22 ऐयर, 3287 रकवा 14 ऐयर, 3288 रकवा 12 ऐयर, 3289 रकवा 9 ऐयर, 3290 रकवा 11 ऐयर, 3291 रकवा 11 ऐयर, 3297 रकवा 2 ऐयर, 3298 रकवा 13 ऐयर, 3299 रकवा 23 ऐयर कुल किता 16 कुल रकवा 2.49 है० **खाता संख्या नया 377 में** दर्ज भूमि खसरा नम्बर 3919 रकवा 22 ऐयर, 3920 रकवा 10 ऐयर, 3921 रकवा 11 ऐयर, 3922 रकवा 21 ऐयर, 3923 रकवा 26 ऐयर, 3924 रकवा 35 ऐयर, 3925 रकवा 28 ऐयर, 3925/4120 रकवा 30 ऐयर कुल किता 8 कुल रकवा 1.83 है० में दर्ज वादी का नाम **राधामोहन पुत्र रामफूल की जगह राधामोहन पुत्र श्यामफूल व रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामफूल**

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

की जगह रामेश्वर पुत्र श्यामफूल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार बालघाट को तहरीर के साथ निर्णय प्रति भिजवाये जावें। उक्त आदेश वादी द्वारा पेश किये गए दस्तवेजों की सत्यता के आधार पर ही प्रभावी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी वादी स्वंय की होगी।

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, टोडाभीम, जिला-करौली